



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 फरवरी 2011—माघ 20, शक 1932

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्र. एफ 2(अ)178-2010-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 13 में, उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(4) परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात्, अधिकारी को पुलिस विभाग की किसी भी शाखा में तथा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर तथा उसके बाहर कार्य कर रहे मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों / संगठनों जैसे विशेष पुलिस स्थापना, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, राज्य मानव अधिकार आयोग इत्यादि में पदस्थ किया जाएगा और उक्त पदस्थापना के प्रयोजन के लिये अधिकारी की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होगी.”

2. नियम 20 में, उपनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(6) पदोन्नति पर, अधिकारी को पुलिस विभाग की किसी भी शाखा में तथा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर तथा उसके बाहर कार्य कर रहे मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों / संगठनों जैसे विशेष पुलिस स्थापना, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, राज्य मानव अधिकार आयोग इत्यादि में पदस्थ किया जाएगा और उक्त पदस्थापना के प्रयोजन के लिये अधिकारी की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होगी.”

3. अनुसूची-एक में, टिप्पणी में, खण्ड (4) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(5) अनुक्रमांक 18 पर, कॉलम (3) में उल्लिखित उप पुलिस अधीक्षक के पदों की संख्या में लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना के लिये स्वीकृत पद सम्मिलित हैं.”

4. अनुसूची-दो में, निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए, अर्थात् :—

“टिप्पणी.—अनुक्रमांक 1 पर कॉलम (4) में उल्लिखित उप पुलिस अधीक्षक के पदों की संख्या में लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना के लिये स्वीकृत पद सम्मिलित हैं.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्र. एफ 2(अ)178-2010-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (अ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

Bhopal, the 9th February 2011

No. 2(a)178-2010-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Police Executive (Gazetted) Services Recruitment and Promotion Rules, 2000, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 13, after sub-rule (3), the following new sub-rule shall be added, namely:—

“(4) After completion of the probation period, the officer shall be posted to any branch of the Police Department and in the different departments / organizations of the Government of Madhya Pradesh functioning in and outside the State of Madhya Pradesh, such as Special Police Establishment, State Bureau of investigation of Economic Offences, State Human Rights Commission etc. and for the purpose of the said posting prior consent of the officer shall not be necessary.”

2. In rule 20, after sub-rule (5), the following new sub-rule shall be added, namely:—

“(6) On promotion, the officer shall be posted to any branch of the police Department and in the different departments / organizations of the Government of Madhya Pradesh functioning in and outside the State of Madhya Pradesh, such as Special Police Establishment, State Bureau of Investigation of Economic Offences, State Human Rights Commission etc. and for the purpose of the said posting prior consent of the officer shall not be necessary.”

3. In Schedule—I, in not, after clause (4), the following new clause shall be added, namely:—

“(5) The number of posts of Deputy Superintendent of Police mentioned in column (3) at serial No. 18 includes the posts sanctioned for Special Police Establishment of Lokayukt Organization.”

4. In Schedule—II, the following note shall be added, namely:—

“**Note.**—The number of posts of Deputy Superintendent of Police mentioned in column (4) at serial No. 1 includes the posts sanctioned for Special Police Establishment of Lokayukt Organization.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ALOK RANJAN, Secy.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्र. एफ. 2(अ)178-2010-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 14 में, उप नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(6) परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात्, अधिकारी को पुलिस विभाग की किसी भी शाखा में तथा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर तथा उसके बाहर कार्य कर रहे मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों /संगठनों जैसे विशेष पुलिस

स्थापना, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, राज्य मानव अधिकार आयोग इत्यादि में पदस्थ किया जाएगा और उक्त पदस्थापना के प्रयोजन के लिए अधिकारी की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होगी।”

2. नियम 19 में, उप नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(3) पदोन्नति पर, अधिकारी को पुलिस विभाग की किसी भी शाखा में तथा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर तथा उसके बाहर कार्य कर रहे मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों/संगठनों जैसे विशेष पुलिस स्थापना, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, राज्य मानव अधिकार आयोग इत्यादि में पदस्थ किया जाएगा और उक्त पदस्थापना के प्रयोजन के लिये अधिकारी की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होगी।”

3. अनुसूची-एक में, निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए, अर्थात् :—

“टिप्पणी.—अनुक्रमांक 1 पर, कालम (3) में उल्लिखित निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक और अनुक्रमांक 4 पर कालम (3) में उल्लिखित उप निरीक्षक के पदों की संख्या में लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना के लिए स्वीकृत पद सम्मिलित हैं।”

4. अनुसूची-दो में, निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए, अर्थात् :—

“टिप्पणी.—अनुक्रमांक 1 पर, कालम (3) में उल्लिखित निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक और अनुक्रमांक 4 पर कालम (3) में उल्लिखित उप निरीक्षक के पदों की संख्या में लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना के लिए स्वीकृत पद सम्मिलित हैं।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्र. एफ. 2(अ)178-2010-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (अ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 9 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

Bhopal, the 9th February 2011

No. 2(a) 178-2010-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Police Executive (Non-Gazetted) Services Recruitment Rules, 1997, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 14, after sub-rule (5), the following new sub-rule shall be added, namely:—

“(6) After completion of the probation period, the officer shall be posted to any branch of the Police Department and in the different departments/organizations of the Government of Madhya Pradesh functioning in and outside the State of Madhya Pradesh, such as Special Police Establishment, State Bureau of Investigation of Economic Offences, State Human Rights Commission etc. and for the purpose of the said posting prior consent of the officer shall not be necessary.”

2. In rule 19, after sub-rule (2), the following new sub-rule shall be added, namely:—

“(3) On promotion, the officer shall be posted to any branch of the Police Department and in the different

departments/organizations of the Government of Madhya Pradesh functioning in and outside the State of Madhya Pradesh, such as Special Police Establishment, State Bureau of Investigation of Economic Offences, State Human Rights Commission etc. and for the purpose of the said posting prior consent of the officer shall not be necessary.”

3. In Schedule—I, the following note shall be added, namely:—

“**Note.**—The number of posts of Inspector/Reserve Inspector mentioned in column (3) at serial No. 1 and number of posts of Sub-Inspector mentioned in column (3) at serial No. (4) include the posts sanctioned for Special Police Establishment of Lokayukt Organization.”.

4. In Schedule—II, the following note shall be added, namely:—

“**Note.**—The number of posts of Inspector/Reserve Inspector mentioned in column (3) at serial No. 1 and the number of posts of Sub-Inspector mentioned in column (3) at serial No. (4) include the posts sanctioned for Special Police Establishment of Lokayukt Organization.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ALOK RANJAN, Secy.